भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4711

उत्तर देने की तारीख 31.03.2022

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा

4711. श्री मनोज कोटक:
श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एमएसएमई संबंधी राष्ट्रीय नीति का मसौदा जारी किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का लक्ष्य एमएसएमई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और अवसंरचना को प्रोत्साहित करना है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार एमएसएमई क्षेत्र हेतु विशेष ऋण के प्रावधान पर विचार कर रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) से (ख) : सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली को एमएसएमई के लिए मसौदा नीति बनाने का कार्यभार सौंपा था और आईआईपीए ने जुलाई, 2021 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईआईपीए द्वारा प्रस्तुत मसौदा नीति की कुछ विशेषताओं में (i) एमएसएमई क्षेत्र के तीव्र वृद्धि के लिए एक वाइब्रेंट इको-सिस्टम की सुविधा का निर्माण करना;(ii) भौतिक अवसंरचना का सृजन और बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज;(iii) अभिगम्य और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए एक फ्रेमवर्क का विकास;(iv) हितकर व्यवसाय वातावरण का संवर्धन आदि शामिल हैं। एमएसएमई नीति का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए आय, रोजगार आदि उत्पन्न करने हेतु एमएसएमई क्षेत्र की दक्षता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करना है। हितधारकों से टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए मसौदा नीति को मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

(ग) से (च): सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र में प्रोत्साहन, विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, अवसंरचना आदि को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य के साथ-साथ (i) एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का अधीनस्थ ऋण; (ii) एमएसएमई सहित व्यावसाय के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) (जिसे बाद में 5 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जैसा कि बजट 2022-23 में घोषित किया गया था); (iii) आत्म निर्भर भारत कोष के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपएका इक्विटी समावेशन; (iv) संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में निवेश और टर्नओवर के संयुक्त मानदंड के आधार पर एमएसएमई का नया संशोधित वर्गीकरण; (v) 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं होगी; (vi) व्यवसाय की सुगमता के लिए 'उद्यम पंजीकरण' के माध्यम से एमएसएमई का नया पंजीकरण आदि शामिल हैं। सभी एमएसएमई के लिए वरियता प्राप्त क्षेत्रों को ऋण देने वाली सुविधा के लाभ प्राप्त है।

उपर्युक्त उपायों के अलावा, एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं और कार्यक्रमों में अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि की योजना (स्फूर्ति), सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वर्ष 2022-23 के बजट में एमएसएमई के लिए निम्नलिखित पहलों की घोषणा की है:-

(i) क्रेडिट सुविधा, कौशल और भर्ती प्रक्रिया के लिए उद्यम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। (ii) आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और इसके गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा यह अतिरिक्त राशि विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित की जा रही है (iii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना को एमएसई और रोजगार के अवसरों के विस्तार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा के अपेक्षित समावेशन के साथ पुनर्निधारण किया जा रहा है (iv) अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एमएसएमई के कार्यनिष्पादन में वृद्धि और गतिवर्धन कार्यक्रम कार्यक्रम (रैंप)।

*****